स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। रजिस्ट्रार

वीर नारियों का सम्मान

समारोह के दौरान सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के पंजीकरण अभियान की शुरुआत होगी, जिससे उन्हें विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी, वीर नारियां, पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मी तथा अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे।

पार्षद मोहित राठी ने वार्ड-13 में लगाया एसआईआर सहायता शिविर

बहादुरगढ़, 8 जुलाई (निस)

इनेलो के नगर पार्षद मोहित राठी की ओर से शहर के वार्ड 13 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) अभियान के तहत सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी पहुंचे और नई वोट बनवाने, मतदाता सूची में संशोधन कराने और एस.आई.आर. फॉर्म भरवाने का कार्य कराया। इस दौरान लोगों को एस.आई.आर. फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर पात्र मतदाताओं के फॉर्म सही तरीके से भरवाए गए, ताकि भविष्य में किसी को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े। पार्षद मोहित राठी ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक वोट का अपना महत्व है और हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है।

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि हम, सारे गुरुग्राम प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम ढोरका, सेक्टर–92, गुरुग्राम के राजस्व अभिलेखों में स्थित 17.212 एकड़ भूमि के स्वामी हैं, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित है ("उक्त भूमि")। उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 07.06.2010 को जारी लाइसेंस संख्या 42/2010 प्राप्त किया गया था, जिसे दिनांक 29.07.2024 को नगर एवं ग्राम आयोजना निदेशालय, चंडीगढ़, हरियाणा (DTCP) द्वारा मूल लाइसेंसधारी से हमारे पक्ष में स्थानांतरित किया गया, ताकि उक्त भूमि पर ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी विकसित की जा सके ("लाइसेंस")।

अब हम हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन नियम, 1976 के नियम 17 के अंतर्गत 6.812 एकड़ भूमि एम/एस केजीके रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड तथा 2.40 एकड़ भूमि एम/एस धूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने तथा दिनांक 18.02.2015 की नीति एवं हरियाणा अधिनियम संख्या 8, वर्ष 1975 की धारा 3क के अनुसार डेवलपर परिवर्तन कर प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को डेवलपर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस संबंध में DTCP द्वारा स्मरण पत्र संख्या LC-1636 Vol-II/JE(SJ)/2026/23410 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

यदि किसी व्यक्ति, संस्था, सरकारी प्राधिकरण, बैंक अथवा वित्तीय संस्था का उक्त भूमि अथवा लाइसेंस के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व, दावा, हित, लाभ, मांग अथवा आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण सहित वरिष्ठ नगर योजनाकार, तृतीय तल, हुडा कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–14, गुरुग्राम-122001, हरियाणा को लिखित रूप में सूचित करें। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि उक्त भूमि अथवा लाइसेंस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल दावा या अधिकार अस्तित्व में नहीं है तथा हमें आंशिक भूमि हस्तांतरण एवं डेवलपर परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

भूमि का विवरण (Land Schedule)

ग्राम	रेक्टेंगल न.	किला	क्षेत्रफल
एम/एस केजीके रियल्टी (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में प्रस्तावित हस्तांतरण			
ढोरका	25	21/2	7–12
		20/1 (दक्षिण)	6–11
		22 (पश्चिम)	3–2
	27	1/2	6–14
		2	8–0
		9	8–0
		10	3–14
		11/2	5–11
		20/1	5–16
		कुल	54–10
			अर्थात 6.812 एकड़
एम/एस धूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पक्ष में प्रस्तावित हस्तांतरण			
ढोरका	25	10/2/2	2–11
		11/2	7–12
		12	8–0
		20/1 (उत्तर)	1–1
		कुल	19–4
			अर्थात 2.40 एकड़
एम/एस सारे गुरुग्राम प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में शेष भूमि			
ढोरका	27	7	7–2
		8	7–0
	25	16	3–4
		17	8–0
		22 (उत्तर)	4–18
		23	8–0
		24	8–0
		25	1–12
	27	3	8–0
		4	8–4
		कुल	64–0
			अर्थात 8.00 एकड़
		कुल लाइसेंस–प्राप्त भूमि	17.212 एकड़

गुरुग्राम
दिनांक : 06.07.2026

सारे गुरुग्राम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता